अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

1 जून 1993 से प्रभावी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग IXए (नगरपालिकाओं) का सूत्रपात किया जो नगरपालिकाओं के मामलों से संबंधित है। इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243डब्ल्यू ने राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया ताकि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान बना सकें।

संविधान की बारहवीं अनुसूची में **तालिका 4.1** में सूचीबद्ध 18 विशिष्ट कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने का उल्लेख है।

1.2 हरियाणा में शहरीकरण की प्रवृत्ति

2011 की जनगणना के अनुसार 253.51 लाख की कुल जनसंख्या में से 88.42 लाख (34.88 प्रतिशत) लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। 2001-2011 और 2011-2020 के दशकों में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर क्रमशः 44.59 प्रतिशत[1] और 29.41 प्रतिशत[2] थी।

शहरी हरियाणा को जन स्वास्थ्य के मुद्दों, गरीबी उन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, शहरी आबादी के बढ़ते दबाव, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे इत्यादि से लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिदृश्य में, शहरी स्थानीय निकायों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि इनमें से अधिकांश मुद्दों को स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से निपटाया जाता है।

1.3 शहरी स्थानीय निकायों का प्रलेख

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2(ए) के अनुसार जनसंख्या[3] के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह धारा राज्य सरकार को जनसंख्या के अतिरिक्त अन्य कारकों जैसे जनसंख्या के घनत्व, स्थानीय राजस्व सृजन और उनके अधिकार क्षेत्र में गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार के स्तर पर नगर निकायों को परिभाषित करने के लिए भी अधिकृत करती है। अगस्त 2020 तक 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जैसा कि **तालिका 1.1** में विवरण दिया गया है।

---

1 हरियाणा का सांख्यिकीय सार 2019-20

2 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट (मई 2006)।

3 3,00,000 या अधिक की जनसंख्या नगर निगम है, 50,000 या अधिक लेकिन 3,00,000 से कम की जनसंख्या नगर परिषद है, 50,000 तक की जनसंख्या नगरपालिका है।

तालिका 1.1: हरियाणा में श्रेणी-वार शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या
नगर निगम	10
नगर परिषद	20
नगरपालिका	57
कुल	**87**[4]

स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सूचना

नगर निगम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (हरियाणा नगर निगम अधिनियम) द्वारा शासित होते हैं तथा नगर परिषदें और नगरपालिकाएं, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (हरियाणा नगरपालिका अधिनियम) द्वारा शासित होती हैं। प्रत्येक निगम/ परिषद/पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात वार्डों में विभाजित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है। सभी शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं।

1.4 हरियाणा में शहरी शासन की संगठनात्मक संरचना

हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव (हरियाणा सरकार) की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग सभी शहरी स्थानीय निकायों के शासन के लिए नोडल विभाग है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, शहरी स्थानीय निकायों का प्रबंधन, सुविधा, समन्वय और निगरानी करता है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति के संबंध में संगठनात्मक संरचना को ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों के अलावा, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के पास 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों के हिस्से के लिए कई प्रमुख पैरास्टेटल एजेंसियां हैं। इसके नियंत्रण में प्रमुख पैरास्टेटल एजेंसियां हरियाणा शहरी मूलभूत संरचना विकास बोर्ड, हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हैं। इसके अलावा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण जैसे अन्य पैरास्टेटल हैं, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों का एक हिस्सा भी करते हैं। ये पैरास्टेटल्स शहरी नियोजन, स्लम क्षेत्रों का विकास, शहरी विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और शहरी गरीबी उन्मूलन जैसी शहरी सेवाएं प्रदान करते हैं। पैरास्टेटल्स और उनके कार्यों का विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

[4] अगस्त 2021 तक 92 शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम: 11, नगर परिषद: 22 और नगरपालिका: 59) थे।